सही चयन-राष्ट्र का सही निर्माण

अणुव्रत चुनाव शुद्धि अभियान

अर्हम

चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है। जिस प्रकार शरीर की स्वस्थता के लिए रीढ़ का स्वस्थ होना आवश्यक है, उसी प्रकार लोकतंत्र की स्वस्थता के लिए चुनाव प्रणाली का भी स्वस्थ होना आवश्यक है। लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है। उसमें पहुंचने वाले सांसद कुशल एवं चरित्र सम्पन्न हों, यह अपेक्षा है। परमपूज्य गुरुदेव तुलसी ने अणुव्रत आन्दोलन का सम्प्रवर्तन किया। उसमें प्रत्याशी और मतदाता के लिए भी अणुव्रत की आचार संहिता है :-

प्रत्याशी अणुव्रत

1. मैं प्रलोभन और भय से मत प्राप्त नहीं करूंगा।
2. मैं प्रतिपक्षी प्रत्याशी का चरित्र हनन नहीं करूंगा।
3. मैं मतदान और मतगणना के समय अवैध तरीकों को काम में नहीं लूंगा।

मतदाता अणुव्रत

1. मैं प्रलोभन और भय से मतदान नहीं करूंगा।
2. मैं जाली नाम से मतदान नहीं करूंगा।

देश के प्रत्याशियों और मतदाताओं से हमारा अनुरोध है कि वे लोकसभा चुनाव में अणुव्रत की आचार संहिता को अपने व्यवहार में प्रयुक्त करने का प्रयास करें।

अणुव्रत अनुशास्ता - आचार्य महाश्रमण

आओ फिर से एक संकल्प करें

दो कदम फिर से मिलकर चलें

वक्त की पुकार है अणुव्रत

इसकी ज्योत जलाते चलें

भारत की सन्त परम्परा महिमामण्डित रही है। भारतीय संस्कृति में साधु-समाज को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में साधुवर्ग का तपःपूत दिशादर्शन और अविश्रान्त श्रम रहा है। समय-समय पर उसने प्रशासक वर्ग का भी योग्य दिशादर्शन किया है।

उस महान संत परंपरा में एक गौरवपूर्ण अभिधान है - **आचार्य तुलसी।** उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व महानता लिए हुए था। उनके पुनीत पुरुषार्थ से मानव जाति उपकृत हुई। बीसवीं सदी के उस महापुरुष ने सम्प्रदाय विशेष का नेतृत्व करते हुए असाम्प्रदायिक धर्म के रुप में अणुव्रत आन्दोलन का सूत्रपात किया। अपनी प्रलम्ब पदयात्राओं के द्वारा उन्होंने देश के विभिन्न प्रान्तों में जनता के चारित्रिक समुत्थान का प्रयास किया। उस महान व्यक्तित्व का पथ जीवन को प्रशस्त करने वाला बने।

आचार्य तुलसी के अवदानों को उन्हीं की परम्परा के यशस्वी **आचार्य महाश्रमण** बखूबी से वृद्धिंगत कर रहे हैं। सम्पूर्ण मानवता के हित में आपका चिन्तन लगा है। चरित्रवान, नैतिक और सशक्त भारत के निर्माण में आप महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

अणुव्रत आचार संहिता

75 वर्ष पहले मिली **स्वाधीनता**
को संपूर्ण भारत की जनता महसूस करें,
निश्चिंत एवं सुरक्षित भविष्य की आशा से
अपनी जीवनशैली बदले,

लोकतंत्र
में जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करें,
विकास की अवधारणाएँ बदले,
सत्ता या संपदा को दोयम दर्जा देकर
प्रथम स्थान पर चरित्र को रखें,
अन्याय एवं असदाचार की घटनाओं से
जूझने के लिए जटायुवृत्ति विकसित करें,
केकड़ावृत्ति छोड़ें और देश के नेता अहंकार
एवं ममकार की चेतना को परिष्कृत कर सकें
तो देश की आजादी के अमृत महोत्सव की
यात्रा को सार्थक बनाया जा सकता है।

पिछले 75 वर्षों से हर **चुनाव** के अवसर पर

अणुव्रत इस **आचार संहिता** का प्रचार करता रहा है।

भारत में लोकतंत्र मजबूत हो इसके लिए
हम राष्ट्र की सभी प्रमुख राजनैतिक पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि

जाति-सम्प्रदाय तथा क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठे हुए
चारित्रवान (बेदाग) एवं योग्य उम्मीदवार ही
लोकसभा में पहुंचाएं।

लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सभी नागरिकों से
यही आशा है कि हमारे आवेदन पर विचार कर राष्ट्र को
प्रगति के पथ पर आगे बढ़ायें।

आदमी भले किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग और रंग
का क्यों न हो, वह सही अर्थ में आदमी बने,
यह अणुव्रत को अभीष्ट है।

अणुव्रत धर्म और जाति के आधार पर
होने वाले बंटवारे पर प्रहार करता है।

''संयमः खलु जीवनम्''

संयम ही जीवन है, यह अणुव्रत का मूल घोष है।
इससे जीवन के लिए न्यूनतम साधनों के द्वारा
जीवनयापन करने का दिशादर्शन प्राप्त होता है।

अणुव्रत **सह-अस्तित्व** और **निःशस्त्रीकरण** के
सिद्धान्त में विश्वास करता है। यह अहिंसा के क्षेत्र में
शोध, प्रशिक्षण और प्रयोग की बात कहकर अहिंसक शक्ति
को विकसित एवं संगठित होने की प्रेरणा देता है।
रूढ़ धारणा में जकड़े लोगों को सही
दृष्टि और दिशा प्रदान करता है।

''निज पर शासनः फिर अनुशासन''

अणुव्रत परोपदेश-परायणता पर प्रहार
कर अपना चरित्र सुधारने का निर्देश देता है।
चरित्र को प्रतिष्ठित करने में अणुव्रत अपनी
अहम भूमिका दर्ज करवाता है।

दिशा - दर्शन

अणुव्रत लोक-जीवन में व्याप्त मानवीय दुर्बलताओं को परिष्कृत कर स्वस्थ जीवन जीने की दिशा देता है।

अणुव्रत आंदोलन ने देश में एक नई विचारधारा का प्रवाह बहाया, उपासना में उलझे हुए मनुष्य से चरित्र की पहचान करवाई और एक

सार्वभौम धर्म या **मानव धर्म** को उजागर किया।

अणुव्रत ने सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता, असाम्प्रदायिकता आदि सार्वभौम तत्त्वों की धारा बहाई, युग-चेतना को झकझोरा, हजारों-हजारों व्यक्तियों को उस धारा में बहने के लिए आमंत्रित किया और वह देश की सीमाएं पार कर विदेशों में पहुंच गया।

अणुव्रत एक आचार-संहिता का नाम है

किसी भी धर्म-सम्प्रदाय में रहता हुआ व्यक्ति
अणुव्रती बन सकता है।

किसी भी जाति या भाषा से जुड़ा हुआ व्यक्ति
अणुव्रतों की साधना कर सकता है।

किसी भी रूप में परमात्मा को माननेवाला व्यक्ति
अणुव्रत आचार संहिता को स्वीकार कर
अणुव्रती बनने का गौरव अर्जित कर सकता है।

समाज सेवा का सबसे सुन्दर उपक्रम है - राजनीति

परन्तु आज के हालात देखें तो वोटों के गलियारे से सत्ता तक के सिंहासन तक पहुंचने वाले नेता आशा की नई लहर पैदा करते हैं किन्तु वहां से लौटते समय उनकी छवि इतनी धूमिल हो जाती है कि वो अपनी पहचान खो देते हैं। देश सेवा या विकास के लिए उनके द्वारा दी जाने वाली दुहाईयां पारे की तरह बिखर जाती है, सृजनशीलता के पग थम जाते हैं और असमानता दूर करने के नारे शून्य में खो जाते हैं। नेता दिखने और नेता बनने में अन्तराल बढ़ता जा रहा है। इसे भरने के लिये हमें इन विषयों पर ध्यान देना होगा- आत्मानुशासन का विकासस्वार्थी मनोवृत्ति का बलिदान, तटस्थता की नीति का प्रयोग, अन्याय से जूझने का मनोभाव तथा साम्प्रदायिकता से उठकर उपर की सोच।

हमें खुशी है कि हमारे समक्ष कई ऐसे राजनेता मौजूद हैं जिन्होंने अपनी योग्यता एवं क्षमता से नई ऊंचाईयों को छुआ है। जिनमें अर्हता है, अनुशासन की क्षमता है, विचारों की दृढ़ता है, दीर्घ पैनी नजर है, परिवर्तन की क्षमता है, निरपेक्षता की सोच है, संघर्षों को झेलने की क्षमता है तथा सबसे काम लेने की कला है।

उन्हें हम लोकसभा में भेजें।

राजनेता जनहित, राष्ट्रहित में अच्छे कार्य करें ताकि
आप और हम मिलकर बाद में यह नहीं पूछे-

वादों का क्या हुआ, इरादों का क्या हुआ?
हर शख्स परेशान है, ख्वाबों का क्या हुआ ??

चुनाव शुद्धि अभियान

लम्बे संघर्ष के बाद सन् 1947 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत आजाद हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। उसके अनुसार अनेक देशी रियासतों का विलय कर राष्ट्र में लोकतंत्र की नींव रखी गई। लोकतंत्र में चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से अणुव्रत आन्दोलन प्रारम्भ से ही चुनाव के अभियान से जुड़ा हुआ रहा है। प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष श्री सुकुमार सेन एवं अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी के सान्निध्य में 22 दिसम्बर 1959 में कन्स्टीटयूश्न क्लब में एक चुनाव आचार संहिता का निर्माण हुआ। उस समय की सभी प्रमुख राजनैतिक पार्टियों ने उस आचार संहिता का समर्थन किया। वह आचार-संहिता इस प्रकार है।

उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता

1. मैं रुपये-पैसे या अन्य प्रलोभन देकर मत ग्रहण नहीं करूंगा।
2. किसी दल या उम्मीदवार के प्रति मिथ्या, अश्लील व अभद्र प्रचार नहीं करूंगा।
3. धमकी व अन्य हिंसात्मक प्रभाव से किसी को मतदान के लिए प्रेरित नहीं करूंगा।
4. मत - गणना में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन अथवा पर्चियां आदि हेर - फेर करवाने का प्रयत्न नहीं करूंगा।
5. प्रतिपक्षी उम्मीदवार और उसके मतदाताओं को प्रलोभन-भय आदि दिखाकर, शराब आदि पिलाकर तटस्थ करने का प्रयत्न नहीं करुंगा।
6. दूसरे उम्मीदवार या दल से अर्थ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा।
7. सेवाभाव से रहित केवल व्यवसाय बुद्धि से उम्मीदवार नहीं बनूंगा।
8. अनुचित व अवैध उपायों से पार्टी का टिकट लेने का प्रयत्न नहीं करूंगा।

मतदाता और समर्थक के लिए आचार संहिता

1. रुपये-पैसे आदि लेकर या लेने का ठहराव कर मतदान नहीं करूंगा और न करवाऊंगा।
2. किसी उम्मीदवार या दल को झूठा भरोसा न दूंगा और न दिलवाऊंगा।
3. जाली नाम से (अवैध) मतदान नहीं करूंगा।
4. अपने पक्ष या विपक्ष के किसी उम्मीदवार का अच्छा या बुरा असत्य प्रचार न करूंगा और न करवाऊंगा।

Vote for a Strong India

अणुव्रत संकल्प पत्र

1. **मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्पपूर्वक वध नहीं करूंगा।**
   - आत्म-हत्या नहीं करूंगा।
   - भ्रूण-हत्या नहीं करूंगा।

2. **मैं आक्रमण नहीं करूंगा।**
   - आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा।
   - विश्व-शांति तथा निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा।

3. **मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ - मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा।**

4. **मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा।**
   - जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊँच-नीच नहीं मानूंगा।
   - अस्पृश्य नहीं मानूंगा।

5. **मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा।**
   - साम्प्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा।

6. **मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा।**
   - अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा।
   - छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा।

7. **मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा।**

8. **मैं चुनाव के संदर्भ में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा।**

9. **मैं सामाजिक रुढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा।**

10. **मैं व्यसनमुक्त जीवन जीऊंगा।**
    - मादक तथा नशीले पदार्थों - शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा।

11. **मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरुक रहूंगा।**
    - हरे-भरे वृक्ष नहीं काटूंगा।
    - पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा।

हमारा योगदान...

1. स्थानीय स्तर पर चुनाव शुद्धि अभियान प्रभारी की नियुक्ति एवं एक समिति का गठन करें। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करें। तटस्थ कार्यकर्ताओं का चयन करें।
2. समय - समय पर स्थानीय स्तर पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी प्रिन्ट TV एवं सोशल मीडिया में प्रेषित करें।
3. चुनावी सभा में अणुव्रत चुनाव शुद्धि अभियान का परिपत्र वितरित करें।
4. जितना सम्भव हो सके, Stickers, Poster, Banner, Pamphlet, Hoardings आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करें। WhatsApp Group के माध्यम से प्रचार किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री तथा एक पार्टी विशेष के हित की बात का प्रसारण न हो।
5. मतदाता जागृति के लिए रंगोली बनाएं, साइकिल रैली निकालें तथा मैराथन दौड़ का आयोजन करें।
6. स्थानीय स्तर पर धर्म-संघ की सभी संस्थाएं, सभी NGO, सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठन, गणमान्य व्यक्तियों, सरकारी-अर्धसरकारी संस्थाओं के अधिकारियों से मीटिंग आयोजित करना, उन्हें हमारे कार्यक्रम से जोड़ना।
7. अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों का सम्यक उपयोग कर स्थानीय स्तर पर Celebrities (विशेष प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों) से मुलाकात कर अपने कार्यक्रमों में आमन्त्रित करें और उनके वीडियो बाइट लेने का प्रयास करें।
8. लोकल बस, ऑटो, टेक्सी, कार, साईकिल रिक्शा, परिवहन के साधन आदि वाहनों पर अणुव्रत चुनाव शुद्धि अभियान पोस्टर्स लगाने का निवेदन करें ताकि बड़े जनसमूह को अपनी बात प्रेषित की जा सके।
9. सभी TV Media में चुनाव की चर्चा जोरों पर रहती है। ऐसी चर्चाओं में अणुव्रत चुनाव शुद्धि अभियान में पारंगत व्यक्ति प्रतिनिधित्व करें ताकि विशाल जनमेदिनी तक अणुव्रत प्रभावी तरीके से पहूंच सके।
10. सम-सामायिक पत्र पत्रिकाओं में चुनाव सुधार सम्बन्धी आलेख, आचार्यों या चारित्रात्माओं द्वारा लिखित तथा स्वयं के मंजे हुए विचार छपवाने का प्रयास करें।
11. Cinema, Multi Plex, Exhibition Center आदि स्थानों पर Documentary व Slide Show का प्रदर्शन करना।
12. FM Radio स्टेशन से सम्पर्क कर प्रचार प्रसार करना।
13. साधना, संस्कार, अरिहंत व पारस आदि धार्मिक TV चैनलों पर अपने प्रायोजित कार्यक्रम में पट्टी समाचार द्वारा संदेश प्रसारित करना।
14. अन्य राष्ट्रीय तथा स्थानीय TV चैनलों पर प्रचार करने का प्रयास करें।
15. स्थानीय स्तर पर चुनाव शुद्धि अभियान के संदर्भ में प्रतियोगिता का आयोजन करना (लेख, गीत, स्लोगन, शोर्ट फिल्म)।
16. विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रमुख नेताओं से मिलकर हमारे प्रयोजन को समझाना व उनसे समर्थन प्राप्त करना।
17. अपने क्षेत्र के चुनाव अधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधिक्षक, कमिश्नर व वरिष्ठ प्रशासनिक महानुभावों से मिलकर अभियान की जानकारी देना व समर्थन प्राप्त करना।

उम्मीदवार से समर्थन...

1. आपके क्षेत्र के जितने भी उम्मीदवार हों, उनसे व्यक्तिगत मुलाकत करना, हमारे उदेश्य बताना, उम्मीदवार की सहर्ष सहमति से अणुव्रत संकल्प पत्र भरवाने का प्रयास करना एवं उनके कार्यालय में फ्रेम करके लगवाना।
2. उम्मीदवार के समर्थकों से अणुव्रत संकल्प पत्र भरवाना।
3. उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय में अणुव्रत से सम्बन्धित सामग्री रखना।
4. उम्मीदवार की सहमती से उसके चुनाव कार्यालय के अन्तर्गत अणुव्रत समिति के Banner लगाना जिसमें स्वच्छ चुनाव आचार संहिता का विवरण हो।
5. यदि सम्भव हो तो सभी उम्मीदवारों को एक मंच पर उपस्थित करना। उनसे केवल राष्ट्र हित एवं आमजन हित से जुड़े मुद्दों पर विचार रखने का निवेदन करना। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी गणमान्य महानुभावों को निमंत्रित करें।

मतदाता जागृति...

1. मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, प्रयास करें कि इससे कोई भी नागरिक वंचित न रहे। विशेष तौर पर युवा पीढ़ी जो पहली बार वोट देने की अधिकारी बनी है, उन्हें प्रेरित करें।

2. जहां तक सम्भव हो प्रत्येक शहरीजन/ ग्रामजन को मतदान के प्रति जागरुक करें, अणुव्रत के चुनाव शुद्धि सम्बन्धी उद्देश्यों को समझाएं और सहमति से अणुव्रत संकल्प पत्र भरवाएं।

3. प्रशासन व आमजन के सहयोग से रैली, मैराथन, मानवीय श्रृंखला आदि का आयोजन करना । इसमें तख्ति व बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार हो सकता है। यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम में प्रशासन की पूर्व लिखित स्वीकृति अति आवश्यक है।

4. नुक्कड़ नाटिकाओं का आयोजन कर जन जागृति का संदेश देना।

5. स्कूलों के विद्यार्थियों को लोकतंत्र में मतदान का महत्व बताया जाये। चूंकि बच्चों के मन पर किसी भी बात का असर अधिक होता है, वे अपने मम्मी-पापा को मतदान का महत्व अच्छी तरह समझा सकते हैं।

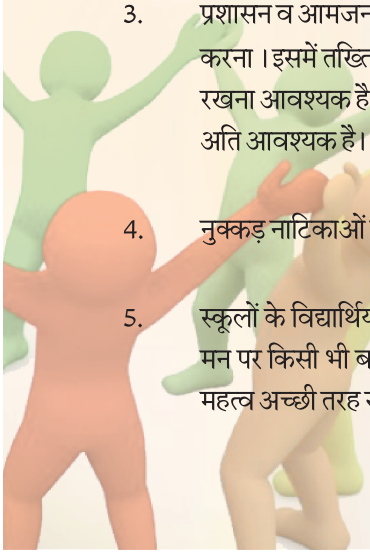

आम चुनाव 2024

प्रथम चरण राज्य : सीटें :

द्वितीय चरण राज्य : सीटें :

तृतीय चरण राज्य : सीटें :

चतुर्थ चरण राज्य : सीटें :

पंचम चरण राज्य : सीटें :

षष्ठम चरण राज्य : सीटें :

सप्तम चरण राज्य : सीटें :

अष्टम चरण राज्य : सीटें :

नवम चरण राज्य : सीटें :

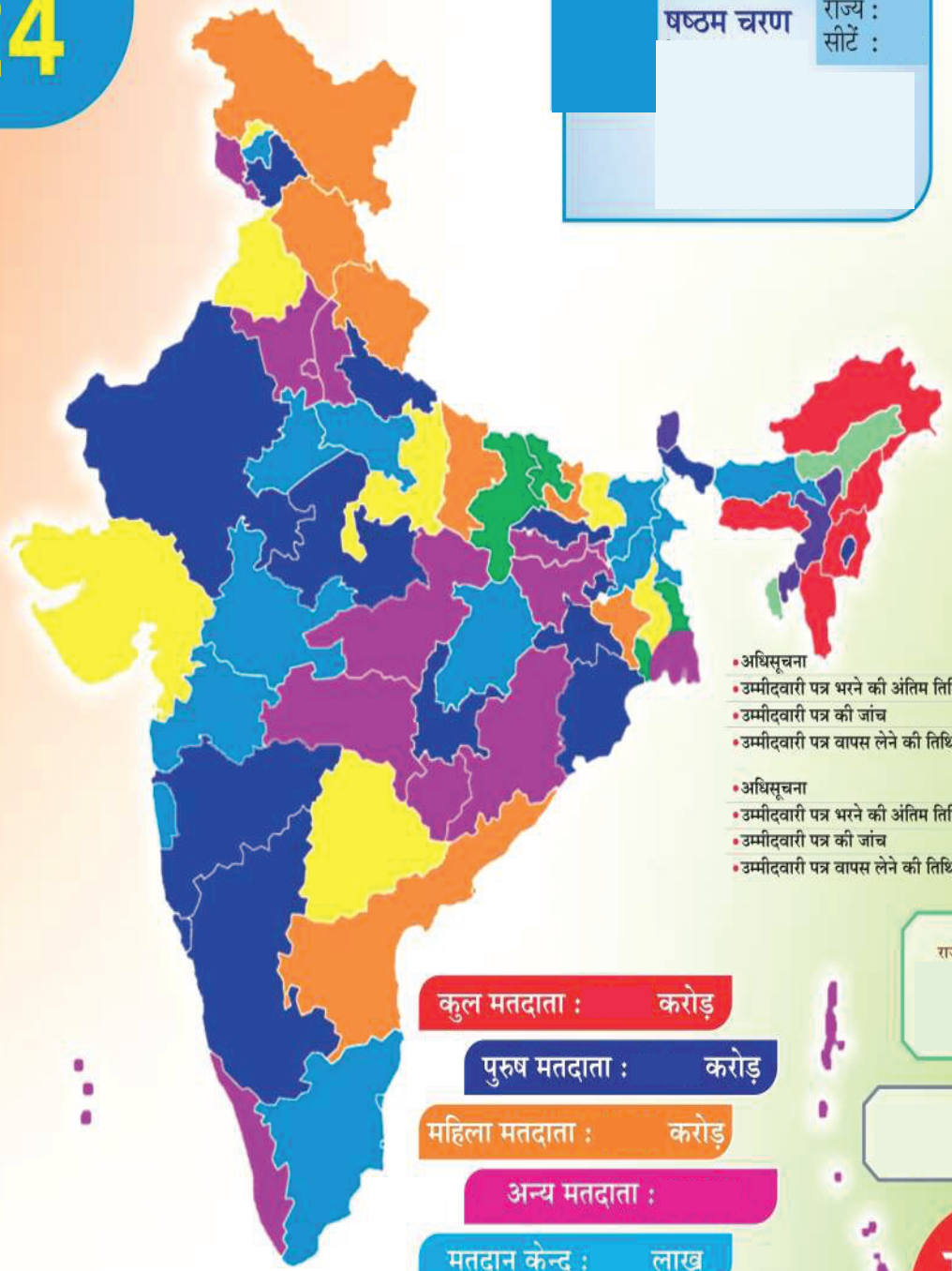

- अधिसूचना
- उम्मीदवारी पत्र भरने की अंतिम तिथि
- उम्मीदवारी पत्र की जांच
- उम्मीदवारी पत्र वापस लेने की तिथि

- अधिसूचना
- उम्मीदवारी पत्र भरने की अंतिम तिथि
- उम्मीदवारी पत्र की जांच
- उम्मीदवारी पत्र वापस लेने की तिथि

विधानसभा चुनाव

राज्य	प्रथम चरण	द्वितीय चरण

विधानसभा सीटों पर उप चुनाव

कुल मतदाता : करोड़

पुरुष मतदाता : करोड़

महिला मतदाता : करोड़

अन्य मतदाता :

मतदान केन्द्र : लाख

संभावित

मतगणना

सुधरे व्यक्ति,
समाज व्यक्ति से,
राष्ट्र स्वयं सुधरेगा....

लोकतंत्र का प्राण है चुनाव।

प्राण स्वस्थ हो तो जीवन स्वस्थ रहता है। यदि प्राण में ही, गड़बड़ी हो तो जीवन का सम्पूर्ण ढाँचा गड़बड़ा जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिन सिद्धान्तों और मूल्यों के आधार पर लोकतंत्र का प्रासाद खड़ा है उन्हीं सिद्धान्तों और मूल्यों की अवमानना यदि चुनाव के अन्तर्गत होती है तो **लोकतंत्र स्वस्थ कैसे होगा?**

चुनाव के समय **जातिवाद, सम्प्रदायवाद, मादक वस्तुओं का प्रयोग, आर्थिक अप्रामाणिकता आदि का व्यवहार होता है, तो यह लोकतंत्र के प्रत्येक नागरिक के लिये चिन्तनीय विषय है।**

इसलिए चुनाव के दौरान आप अपने कर्त्तव्य, दायित्व एवं देशप्रेम को अनुभव करें, चुनाव में होने वाली गलतियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रश्रय न दें। मतदाता हर परिस्थिति में मतदान जैसे

राष्ट्रीय कर्तव्य से वंचित न रहे तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है।

सही चयन - राष्ट्र का सही निर्माण

आपके अमूल्य वोट का अधिकारी कौन?

- ✓ जो ईमानदार हो
- ✓ जो चरित्रवान हो
- ✓ जो सेवाभावी हो
- ✓ जो कार्यनिपूण हो
- ✓ जो नशामुक्त हो
- ✓ जो स्वच्छ छवियुक्त हो
- ✓ जो राष्ट्रहित व लोकहित को सर्वोपरि मानता हो
- ✓ जो जाति - सम्प्रदाय से बंधा हुआ न हो

मतदाता ध्यान दें...

- भय और प्रलोभन में आकर मतदान न करें।
- चुनाव के समय मद्य एवं मादक द्रव्यों का प्रतिकार करें।
- चरित्र एवं गुणों के आधार पर मतदान का निर्णय करें।
- जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर मतदान न करें।
- अपराधी एवं भ्रष्टाचार में लिप्त उम्मीदवार को मतदान न करें।
- हिंसात्मक प्रवत्तियों में लिप्त उम्मीदवार को मतदान न करें।
- अवैध मतदान न करें।

मतदाता, कर्मचारियों व

मतदान से पहले

चुनाव प्रचार पर विराम लगने के पश्चात

शराब या अन्य मादक पदार्थ का विक्रय करना, दिया जाना या वितरण करना, सार्वजनिक सभा या जुलूस करना, उसमें उपस्थित रहना या संबोधित करना, सिनेमा या टेलीविजन या ऐसे ही अन्य किसी उपकरण या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करना, एसएमएस या मोबाइल फोन के जरिए चुनाव प्रचार - प्रसार नहीं किया जा सकेगा।

यहां करें शिकायत

यदि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी की और से एसएमएस या आपत्तिजनक संदेश प्राप्त होता है, तो उस संदेश की सामग्री को प्रेषक के मोबाइल नम्बर के साथ पुलिस को शिकायत करें ताकि भेजने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

नहीं रह पाएंगे अन्य लोकसभा के राजनीतिक व्यक्ति

चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस लोकसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है, क्षेत्र में नहीं रुक सकेगा। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का कार्यालय नहीं होगा। मतदान के दिन 100 मीटर की परिधि में चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के अलावा अन्य कोई मोबाइल, कॉर्डलेस फोन या वायरलेस सेट का उपयोग नहीं कर पाएगा।

200 मीटर की परिधि में नहीं लगेंगे बैनर

मतदान केंद्र व उसके 200 मीटर की परिधि के भीतर राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह या नाम आदि के पोस्टर या बैनर प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे। केवल ऐसी सादी पर्चियां जिसमे मतदाता की भाग संख्या, क्रम संख्या और मतदाता के नाम का उल्लेख हो, वे मतदान केंद्र के भीतर ले जाई जा सकती हैं।

वाहन के लिए विशेष परमिट

मतदान दिवस पर अभ्यर्थी को केवल एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा उसके कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से मतदान दिवस के लिए विशेष परमिट जारी कर दी जा सकती हैं। ऐसे परमिट वाले किसी भी वाहन में चालक सहित पांच व्यक्ति से अधिक नहीं लिए जा सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी या राजनैतिक व्यक्ति का वाहन बिना परमिट के चलने की अनुमति नहीं होगी।

मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर रहेंगे वाहन

मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर ही वाहन खड़े होंगे। इसके अलावा 100 मीटर की परिधि में वोट मांगना, वोट डालने के लिए मना करना, लाउड स्पीकर, मेगाफोन या किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, नारेबाजी करना, पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करना, हथियार ले जाना, बूथ कैप्चरिंग, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना, मतदाता को डराने, धमकाने व दबाव बनाने पर कार्रवाई की जाएगी।

वोटर आईडी नहीं होने पर पेश कर सकेंगे ये दस्तावेज

यदि मतदाता सूची में किसी मतदाता की फोटो ही नहीं हैं। उसे वोटर आईडी जारी नहीं हुआ है और मतदाता पर्ची में भी फोटो नहीं है या मतदाता पर्ची- मतदाता सूची में उसकी फोटो गलत है तो उसे मतदाता पर्ची (प्रमाणीकृत) के साथ आयोग की ओर से अनुमत 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से 7 कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केंद्र में साथ ले जाना आवश्यक होगा।

जनप्रतिनिधियों के लिए गाइड लाइन एक नजर में

इन बातों का रखें ध्यान

ये माना दंडनीय अपराध

चुनाव प्रक्रिया के दौरान धर्म, जाति, भाषा, स्थान आदि आधारों पर विभिन्न समूहों में वैमनस्य बढाना, शांति व्यवस्था को बिगाड़ना दंडनीय अपराध माना गया है। पूजा स्थलों या धार्मिक कर्म के उपयोग में आने वाले स्थान से जातियों या समुदायों या जन समूहों के बीच वैमनस्यता पूर्ण भावनाएं बढ़ाना, जुलूस में जान - बूझकर हथियार ले जाना, किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का हथियार सहित संचालन या आयोजन करना, उसमें भाग लेना, किसी वर्ग के लिए राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई लांछन लगाना या प्रकाशित करना, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट देने या इसके लिए उत्प्रेरित करने के लिए रिश्वत देना, किसी मतदाता के मताधिकार के स्वतंत्र उपयोग में हस्तक्षेप करना या असम्यक असर डालना, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वोट डालना (फर्जी वोट डालना), किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या कथन को प्रकाशित करना, निर्वाचन संबंधी गुमनाम अथवा मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना पंपलेट, पुस्तिका-दस्तावेजों का मुद्रण करना आदि पर व्यय करना दंडनीय अपराध माना गया है।

अनाधिकृत व्यक्ति का नहीं होगा प्रवेश

मतदान केंद्र के अंदर चुनाव ड्यूटी स्टॉफ, आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी या उसके चुनाव एजेंट, मतदान एजेंट, मतदाता (जिसमें महिला मतदाता की गोद में बालक या निशक्त मतदाता के साथी भी शामिल है) प्रवेश कर सकते हैं। कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा।

मतदाता सहायता केंद्र

मतदान केंद्र परिसर में प्रशासन की ओर से मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र में सभी मतदाताओं की फोटोयुक्त मतदाता पर्ची (प्रमाणीकृत) भी उपलब्ध रहेगी। ऐसे मतदाता जो अपना वोटर आईडी या घर पर पहुंचायी गई फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को मतदान केंद्र पर नहीं लाते हैं, वह केंद्र से फोटोयुक्त मतदाता पर्ची (प्रमाणीकृत) प्राप्त कर सकता है और इसके आधार पर मतदान अधिकारी को अपनी पहचान कराकर मतदान कर सकता है।

लगा सकेंगे एक टेबल, दो कुर्सियां

चुनाव बूथ मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर किसी स्थान पर स्थानीय निकाय से अनुमति लेकर स्थापित किया जा सकेगा, जिसमें एक टेबल और दो कुर्सियां बिना किसी शामियाने या टेंट के लगाई जा सकती है और 3 फीट गुणा 1.5 फीट आकार का एक बैनर लगाया जा सकेगा।

ANUVIBHA

अणुव्रत विश्व भारती सोसायटी

मुख्य कार्यालय :
चिल्ड्रन'स पीस पैलेस, पोस्टल बाक्स सं. 28,
राजसमन्द-313324. राजस्थान (भारत)
head.office@anuvibha.org
+91 2952 220516, +91 91166 34515
www.anuvibha.org

एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यालय :
अणुव्रत भवन, 210, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002 (भारत)
delhi@anuvibha.org
+91 11 2323 3345, +91 91166 34512

अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय :
अणुविभा जयपुर केन्द्र, आचार्य तुलसी मार्ग, मालवीय नगर,
जयपुर - 302017, राजस्थान (भात)
jaipur@anuvibha.org
+91 91166 34517

जीवन विज्ञान कार्यालय :
जीवन विज्ञान भवन, जैन विश्व भारती कैम्पस,
लाडनूं - 341306, राजस्थान (भारत)
jeevan_vigyan@anuvibha.org
+91 91166 34514

Sanjay Mangal : 9558667482